

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—23/2021 (2021/62) वाद पत्र

अनवान

1. ईश्वरीदेवी पत्नि जगदीशदास वैष्णव निवासी सुरास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

वादीया

बनाम

1. पीरू आत्मज ईस्माईल मुसलमान निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नुर मोहम्मद आत्मज कासु मुसलमान निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. बाबुदीन आत्मज रहीम मुसलमान निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मुस्ताक आत्मज रहीम मुसलमान निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. शौकत आत्मज रहीम मुसलमान निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. फरीदा पुत्री रहीम मुसलमान निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. कलसुम पत्नि रहीम मुसलमान निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. शकुर आत्मज कासु मुसलमान निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. एसबीबीजे (एसबीआई) शाखा रायपुर तह. रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
10. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर तह.रायपुर जि.भीलवाड़ा शाखा प्रबन्धक
11. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा शाखा प्रबन्धक
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद —

अधिवक्ता वादी

दिनांक 09.11.2021

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 22.07.2021 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 132 रकबा 1.33 है0, आराजी संख्या 133 रकबा 1.77 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.10 है0 भूमि में वादीया का 1/3 हिस्सा, तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 8 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से का कब्जे को मध्यनजर रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन करवा रेवेन्यु रेकार्ड मे अलग राजस्व खाता खोले जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 20.10.2021 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड


ऑफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादी अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

### आदेश

अतः वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीया के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम सगरेव तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में प्रस्तावित आराजी संख्या 132/1 रकबा 0.56 है, आराजी संख्या 133/1 रकबा 0.46 है, कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1.02 है, भूमि ईश्वरीदेवी पत्नि जगदीशदास वैष्णव सा सुरास खातेदार रहन एसबीबीजे शाखा रायपुर तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 132/3 रकबा 0.32 है, आराजी संख्या 133/4 रकबा 0.70 है, कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1.02 है, भूमि पीरू पुत्र ईस्माईल मुसलमान सा. देह खातेदार रहन बीओबी शाखा रायपुर तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 132/2 रकबा 0.45 है, आराजी संख्या 133/2 रकबा 0.57 है, कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1.02 है, भूमि कलसुम पत्नि रहीम 1/18, फरीदा पुत्री रहीम 1/18, बाबूदीन पुत्र रहीम 1/18, मुस्ताक पुत्री रहीम 1/18, रहीना पुत्री रहीम 1/18, सोकत पुत्र रहीम 1/18, नूरमोहम्मद पुत्र कासू 1/3 रहन बीआरकेजीबी शाखा रायपुर, शकूर पुत्र कासू 1/3 मूसलमान सा. देह खातेदार के नाम रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 09.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
9.11.2021  
(सुन्दरलाल बम्बोडा)  
सहायक कलेक्टर (सुप्रीमड अधिकारी)  
रायपुर (मि.स.स.)

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा**  
**पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.**

मुकदमा नम्बर:—23/2021 (2021/62) वाद पत्र

अनवान

1. ईश्वरीदेवी पत्नि जगदीशदास वैष्णव निवासी सुरास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा  
वादीया

बनाम

1. पीरु आत्मज ईस्माईल मुसलमान निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नुर मोहम्मद आत्मज कासु मुसलमान निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. बाबुदीन आत्मज रहीम मुसलमान निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मुस्ताक आत्मज रहीम मुसलमान निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. शौकत आत्मज रहीम मुसलमान निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. फरीदा पुत्री रहीम मुसलमान निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. कलसुम पत्नि रहीम मुसलमान निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. शकूर आत्मज कासु मुसलमान निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. एसबीबीजे (एसबीआई) शाखा रायपुर तह. रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
10. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर तह.रायपुर जि.भीलवाड़ा शाखा प्रबन्धक
11. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा शाखा प्रबन्धक
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा


प्रतिवादीगण

**वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

यह मुकदमा वास्तु इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीया के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम सगरेव तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 132/1 रकबा 0.56 है0, आराजी संख्या 133/1 रकबा 0.46 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.02 है0 भूमि ईश्वरीदेवी पत्नि जगदीशदास वैष्णव सा सुरास खातेदार रहन एसबीबीजे शाखा रायपुर तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 132/3 रकबा 0.32 है0, आराजी संख्या 133/4 रकबा 0.70 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.02 है0 भूमि पीरु पुत्र ईस्माईल मुसलमान सा. देह खातेदार रहन बीओबी शाखा रायपुर तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 132/2 रकबा 0.45 है0, आराजी संख्या 133/2 रकबा 0.57 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.02 है0 भूमि कलसुम पत्नि रहीम 1/18, फरीदा पुत्री रहीम 1/18, बाबूदीन पुत्र रहीम 1/18, मुस्ताक पुत्री रहीम 1/18, रहीना पुत्री रहीम 1/18, सोकत पुत्र रहीम 1/18, नूरमोहम्मद पुत्र कासू 1/3 रहन बीआरकेजीबी शाखा रायपुर, शकूर पुत्र कासू 1/3 मुसलमान सा. देह खातेदार के नाम रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 09.11.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।



  
9.11.2021  
(सुन्दरलाल बम्बोडा)  
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर, जिला भीलवाड़ा